

	<p>केंद्रीय शुल्क के प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL TAX हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय HYDERABAD GST COMMISSIONERATE जीएसटी भवन, एल बी स्टेडियम रोड, बशीर बाग, हैदराबाद-500 004 GST BHAVAN, L B STADIUM ROAD, BASHEERBAGH, HYDERABAD-500004 Phone No.040-23241117 / 23240725 Fax No. 040-23299204 e-mail:cgst.hydcommr@gov.in</p>	
---	---	---

C.No.II/3/1/2019-Estt.

Date: 26-04-2019

स्थापना आदेश (रा.प.) सं. 57/2019  
ESTABLISHMENT ORDER (G.O.) NO.57/2019

विषय: स्थापना- वरिष्ठ निजी सचिव की श्रेणी में पदोन्नति - श्रीमति आई.एन.मंजुला, निजी सचिव द्वारा पदोन्नति को माना करना- संबन्धित

Sub:- Estt – Promotion to the cadre of Senior Private Secretary – Decline of Promotion by Smt I.N.Manjula, Private Secretary – Reg.

\*\*\*\*\*

केन्द्रीय कर प्रधान आयुक्त, हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय ने कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के का.जा.सं. 22011/5/86-Estt(D) dated 10-04-1989 के पैरा 17.12 की शर्तों के अनुसार, अभ्यावेदन दिनांक 29-03-2019 में बताए गए कारणों को देखते हुए श्रीमति आई.एन.मंजुला, निजी सचिव द्वारा पदोन्नति को छोड़ देने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

Principal Commissioner of Central Tax, Hyderabad GST Commissionerate is pleased to accept the request of Smt I.N.Manjula, Private Secretary, to forgo the promotion in terms of Para 17.12 of DOP&T, O.M.No.22011/5/86-Estt(D) dated 10-04-1989 in light of reasons adduced by her representation dated 29-03-2019.

2. पुनः उन्हें सूचित किया जाता है कि उनके पदोन्नति को मना करने की तारीख (यानि 29-03-2019) से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए या अन्य रिक्ति होने तक, जो भी बाद में आए तक पदोन्नति के लिए उनके मामले पर विचार नहीं किया जाएगा।

Further, she is informed that she will not be considered for promotion for a period of 1 (one) year from the date of refusal of promotion (i.e. from 29-03-2019) or till the next vacancy arises, whichever is later.

3. पैरा 2 में उल्लिखित उच्च श्रेणी में पदोन्नति होने पर उन्हें सूचित किया जाता है कि पहले उच्च पद पर पदोन्नत किए गए उनके कनिष्ठ की तुलना में उनकी वरीयता नष्ट हो जाएगी चाहे ऐसी पदोन्नति चयन द्वारा या अन्यथा आदेश किया गया हो।

On the eventual promotion as stated in para 2 above to the higher grade, she is informed that she will lose seniority vis-à-vis her junior promoted to the higher grade earlier irrespective of the fact whether such promotion is ordered by selection or otherwise.

4. यह प्रधान आयुक्त, हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of Principal Commissioner, Hyderabad GST Commissionerate.



(पी.डी.पूली P.D.PULI)

अपर आयुक्त (क व सत)

ADDITIONAL COMMISSIONER (P&V)

सेवा में To

श्रीमति आई.एन.मंजुला, निजी सचिव, हैदराबाद-I लेखापरीक्षा आयुक्तालय, हैदराबाद।  
Smt I.N.Manjula, Private Secretary, Hyderabad-I Audit Commissionerate, Hyderabad

प्रतिलिपि अग्रेषित Copy submitted to:

1. प्रधान मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क & केन्द्रीय कर, हैदराबाद क्षेत्र, हैदराबाद ।  
The Principal Chief Commissioner, Customs & Central Tax, Hyderabad zone, Hyderabad.
2. मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क & केन्द्रीय कर, विसखपट्टनम क्षेत्र, विसखपट्टनम ।  
The Chief Commissioner, Customs & Central Tax, Visakhapatnam zone, Visakhapatnam.
3. सभी प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीमा शुल्क & केन्द्रीय कर, हैदराबाद क्षेत्र  
All the Principal Commissioners/ Commissioners of Customs & Central Tax, Hyderabad Zone.

प्रतिलिपि Copy to:

1. सभी CAO/PAO, सीमाशुल्क & केन्द्रीय कर, हैदराबाद क्षेत्र।  
All the CAO/PAO, Customs & Central Tax, Hyderabad Zone.
2. स्टॉक फ़ाइल/ नोटिस बोर्ड Notice Board/Stock File.



(पी.डी.पूली P.D.PULI)

अपर आयुक्त (क व सत)

ADDITIONAL COMMISSIONER (P&V)